रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 16, 1973/ज्येष्ठ 26, 1895

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 16, 1973/JYAISTHA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 5 जून, 1973

सा. का. नि. 622.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, मंत्रिमण्डल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में अनुसंधान अधिकारी (श्रेणी 2) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ** :—

(1) ये नियम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुसंधान अधिकारी (श्रेणी 2) भर्ती 73 कहे जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग** :—

ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पद पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**:—

उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे सम्बन्धित वेतनमान उपर्युक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिये गए अनुसार होगा।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** :—

उक्त पद से सम्बन्धित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिये गये अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता**:—ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का समझौता किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो अथवा,

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Research and Reference Division (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1965, against Serial No. 1 relating to the post of 'Librarian';

(a) in column 5, for the entry, the entry "As in column 7" shall be substituted;

(b) in column 7, for the entry, the entry "100 per cent by promotion failing which by direct recruitment" shall be substituted;

(c) in column 8, for the entry, the entry "Not applicable" be substituted;

(d) in column 11, for the entry, the entry "No" shall be substituted,

(e) in column 12, for the entry, the entry "Promotion from Junior Librarian in Research and Reference Division with at least 3 years' regular service in the grade" shall be substituted.

[F. No A. 11018/1/72-Admn./R & RD/US(P)]
BANU RAM AGGARWAL, Under Secy.

नई दिल्ली-1, 2 जून, 1973

सा० का० नि० 635—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी–1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 मे अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमो को आकाशवाणी (श्रेणी-1) पद भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2 आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची म, क्रम संख्या 20 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियो क उपरान्त निम्नलिखित अन्त-स्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
21	वरिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-1 (राजपत्रित)	700–40–1000–50/2–1250 रुपये	लागू नही होता	लागू नही होता

8	9	10	11	12	13	14
लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	(क) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या (ख) ठेके पर नियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या ठेके पर नियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारो के अधीन कम से कम 350–900 रुपये के वेतनमान वाले किसी भी श्रेणी -1 या श्रेणी-2 (राजपत्रित) के पद पर काम करने वाले अथवा सार्वजनिक क्षेत्रो के उपक्रमो मे समकक्ष ग्रेड म काम करने वाले ऐसे अधिकारियो मे से जो — (क) किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हो या समकक्ष योग्यता प्राप्त हो, (ख) किसी राजपत्रित पद या सार्वजनिक क्षेत्र क किसी उपक्रम म समकक्ष ग्रेड म न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव रखते हो, और (ग) सचिवालय प्रशिक्षण एव प्रबन्ध सस्थान, रक्षा कार्य अध्ययन सस्थान के वर्क स्टडी प्रेक्टीसनर्ज कोर्स मे प्रशिक्षण या किसी अन्य सस्थान मे समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हो। या कार्य अध्ययन या सगठन एव पद्धति या विश्लेषण या सांख्यिकी या आपरेशन्स रिसर्च तथा अन्य प्रबन्ध अनुसन्धान प्रविधियो के लागू करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखता हो। (सामान्यत प्रतिनियुक्ति या ठेके की अवधि 6 वर्ष से अधिक नही होगी)	लागू नही होता।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

[स० 1(1)/73 प्रा०(ए०)]
ए० वी० नारायणन, अवर सचिव।

New Delhi, the 2nd June, 1973

G.S.R. 635.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Amendment Rules, 1973

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, after Serial No. 20 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8
"21.	Senior Analyst (Work Study)	One	General Central Service Class I (Gazetted)	Rs. 700-40-1100-50/2-1250	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

9	10	11	12	13	14
Not Applicable	Not Applicable	(a) Transfer on deputation or (b) By appointment on contract.	**Transfer on deputation or appointment on contract:** Officer from any Class I or Class II (Gazetted) posts in the Scale not lower than Rs. 350-900 under the Central Government or State Governments or equivalent grade in public sector undertakings, who have:— (a) a University Degree or its equivalent; (b) a minimum of 8 years service in the gazetted post or equivalent grade in a public sector undertaking; and (c) successfully completed training in the Work Study Practitioners Course of the Institute of Secretariat Training and Management, Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other Institution. **or** atleast 3 years' experience in the application of Work Study or organisation and methods or analytical or statistical or Operations Research and other management research techniques. (Period of deputation or contract ordinarily not exceeding 6 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958

No. 1(4)/73-B(A)

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 18 मई, 1973

सा. का. नि. 636.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार (वर्ग 1 और वर्ग 2 के पदों पर भर्ती) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार (वर्ग 1 और वर्ग 2 के पदों पर भर्ती) संशोधन नियम, 1973 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार (वर्ग 1 और वर्ग 2 के पदों पर भर्ती) नियम, 1960 की अनुसूची में :-

(1) "निदेशक, अभिलेखागार" के पद से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने स्तम्भ 7 में "आवश्यक" शीर्ष के अन्तर्गत (क) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में मास्टर की उपाधि या समतुल्य,